

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

पत्रांक:- 4228/परि० मुजफ्फरपुर, दिनांक 21/11/2024

शुद्धि-पत्र

प्रेषित,

श्री संजय झा,
पिता- वैद्यनाथ झा,
पता-मधेरा निवास,
वार्ड नं०-23 भवदीपुर,
जिला-सीतामढ़ी।
पिन कोड-843302.

विषय:- वाहन संख्या बी०आर० 30 पी० 4798, परमिट संख्या 176/2014 का परमिट रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक 4222 दिनांक 18.11.2024

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा परमिट संख्या 176/2014 से आवृत वाहन संख्या बी०आर० 30 पी० 4798 के परिचालन पर रोक लगाते हुए एक पक्ष के अन्दर उच्च मॉडल से प्रतिस्थापन करने का निदेश दिया गया है। कार्यालय पत्रांक 4222 दिनांक 18.11.2024 के पारा दो में वाहन संख्या बी०आर० 30 पी० 4798 के स्थान पर बी०आर० 30 पी० 3684 अंकित हो गया है।

अतएव प्रासंगिक पत्र के पारा दो में अंकित वाहन संख्या बी०आर० 30 पी० 3684 के स्थान पर बी०आर० 30 पी० 4798 समझा जाए।

21.11.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

पत्रांक:- 4212/परि0 मुजफ्फरपुर, दिनांक

18/11/2024

प्रेषित,

श्री संजय झा,
पिता- वैद्यनाथ झा,
पता-मधेरा निवास वार्ड नं0-23 भवदीपुर,
जिला-सीतामढ़ी।
पिन कोड-843302.

विषय:- वाहन संख्या बी0आर0 30 पी0 4798 परमिट संख्या 176/2014 का परमिट रद्द करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्राधिकार की बैठक दिनांक 30.10.2024 में परमिट संख्या 176/2014 से आवृत वाहन संख्या बी0आर0 30 पी0 4798 की आयु 10 वर्ष से अधिक होने के बावजूद अनुमान्य दूरी 400 कि0मी0 से अधिक परिचालन का मामला प्रकाश में आया है।

अतएव मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों के तहत उक्त वाहन के परिचालन पर रोक लगाते हुए निदेशित किया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर वाहन संख्या बी0आर0 30 पी0 3684 को उच्च मॉडल से प्रतिस्थापन करना सुनिश्चित करें अन्यथा परमिट संख्या 148/2014 को रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जाएगा।

16.11.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

